

झारखंड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषय:- झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर " आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना " करने एवं योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने के संबंध में।

आदिवासियों के लिए आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परगना भवन एवं धुमकुड़िया भवन निर्माण कार्य कराया जाता है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से संचालित है। वर्तमान में संकल्प ज्ञापांक-105, दिनांक-09.01.2018 के अनुसार विभाग द्वारा स्वीकृत मानक प्राक्कलन के आधार पर आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परगना भवन एवं धुमकुड़िया भवन निर्माण कार्य लाभुक समिति द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में प्रति ईकाई आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन/धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना का मानक प्राक्कलित राशि 12,27,700 रु० है।

योजना का कार्यान्वयन अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (ओ०एस०पी०) क्षेत्र में जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (टी०एस०पी०) क्षेत्र में परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० के देख-रेख में ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभुक समिति द्वारा कराया जाता है। लाभुक समिति की यह व्यवस्था अधिकतम 15 लाख की प्राक्कलित राशि की योजना तक ही सीमित है। चूँकि ये जनजातीय हित का कार्य है तथा आदिवासी विशेष समुदाय से संबंधित है, अतः लाभुक समिति में अन्य समुदाय के व्यक्तियों का समावेश नहीं होता है। जिन ग्रामों में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त परम्परागत ग्राम-प्रधान/मानकी मुण्डा/पाहन/मांझी हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित लाभुक समिति द्वारा आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परगना भवन, एवं धुमकुड़िया भवन निर्माण योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है।

इन भवनों में जनजातीय समुदाय के पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, अतः इनका सम्पूर्ण विकास का कार्य किया जाना समीचीन है। इस क्रम में यह अनिवार्य है कि इन भवनों के निर्माण कार्य के आलावा आधारभूत संरचना का निर्माण यथा चहारदीवारी निर्माण, उठने-बैठने की व्यवस्था, सामग्रियों के संग्रहण, जलापूर्ति, जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन हेतु सौंदर्यकरण आदि की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जनजातीय संस्कृति को सँजोए रखा जा सके।

[Handwritten signature]
15/02/2022

आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परगना भवन एवं धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना के साथ-साथ मांझी थान शेड निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से संचालित है। संकल्प ज्ञापांक-2519, दिनांक-24.07.2019 के अनुसार संचाल जनजाति समुदाय बाहुल्य जिलों यथा दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सरायकेला-खरसावाँ, प० सिंहभूम में मांझी थान शेड निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना 1.50 लाख रु० प्रति इकाई मानक प्राक्कलित राशि की है।

2. **योजना का उद्देश्य :-** जनजातीय संस्कृति में आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक रीति-रिवाजों का एक केंद्र बिन्दु है। विभाग द्वारा संचालित योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक स्थल यथा आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े का संपूर्ण संरक्षण एवं विकास का कार्य किया जाना है, ताकि जनजातीय संस्कृति से जुड़े रीति-रिवाजों, परंपराओं आदि को अक्षुण्ण रखा जा सके और इन भवनों को जनजातीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में विकसित कर संरक्षित रखा जा सके।

3. **योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया :-**

- 3.1 योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना अंतर्गत जनजातीय संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक स्थल यथा आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े के संरक्षण एवं विकास हेतु भवन निर्माण कराते हुए आवश्यकतानुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण यथा चहारदीवारी निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैण्डस्केपिंग एवं गार्डनिंग, ड्राईव-वे, वॉक-वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदीवारी पर जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि कार्य किया जायेगा।
- 3.2 राज्य में आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े के विकास हेतु प्रति ईकाई अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये (पांच करोड़ रुपये) राशि के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय की जाएगी।
- 3.3 पूर्व में स्वीकृत आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण की परियोजनाओं में योजना अंतर्गत विकास की दृष्टिकोण से उक्त सांस्कृतिक स्थलों में केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण यथा चहारदीवारी निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैण्डस्केपिंग एवं गार्डनिंग, ड्राईव-वे, वॉक-वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदीवारी पर जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि संबंधी योजना की स्वीकृति दी जाएगी एवं आवश्यकतानुरूप पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य कराया जाएगा।

Amul
15/07/2019

- 3.4 सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि योजना हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को वित्त नियमावली के नियम 245 द्वारा क्षान्त करते हुए रु० 25.00 लाख (पच्चीस लाख) तक की योजनाओं यथा आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े का निर्माण कराते हुए आवश्यकतानुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण यथा चहारदीवारी निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैण्डस्केपिंग एवं गार्डनिंग, ड्राईव-वे, वॉक-वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदीवारी पर जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि का कार्यान्वयन अन्य उपयोजना क्षेत्र में संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में संबंधित परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० के देख-रेख में ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से कराया जाएगा।
- 3.5 ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश के आलोक में ग्राम सभा का आयोजन कर लाभुक समिति का चयन किया जाएगा। जिन ग्रामों में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त परम्परागत ग्राम-प्रधान/मानकी मुण्डा/पाहन/मांझी हैं, उनकी अध्यक्षता में लाभुक समिति गठित की जाएगी। लाभुक समिति द्वारा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा तथा इनमें से किन्हीं दो के पदनाम से बैंक/डाकघर में संयुक्त खाता खोलते हुए योजना के प्राक्कलन के अनुरूप किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
- 3.6 लाभुक समिति में केवल एवं केवल संबंधित ग्राम के आदिवासी ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य लाभुक समिति के सदस्य होंगे। लाभुक समिति में न्यूनतम 7 सदस्य एवं अधिकतम 11 सदस्य होंगे।
- 3.7 लाभुक समिति में विवाद होने की स्थिति में कार्य खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- 3.8 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये से अधिक राशि की योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- 3.9 भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड का ज्ञपांक-318 (भ०), दिनांक-30.11.2017 के आलोक में 3.00 करोड़ रुपये से अधिक राशि की निर्माण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा तथा 3.00 करोड़ रुपये से कम राशि का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग अथवा अन्य किसी भी कार्य विभाग के द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा।
- 3.10 सरकारी भूमि पर आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण कराते हुए आवश्यकतानुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण संबंधी कार्य कराया जाएगा।
- 3.11 योजना का क्रियान्वयन तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कराया जाएगा।
- 3.12 तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर जिलों से प्राप्त योजना प्रस्ताव की सूची पर विभाग द्वारा विभागीय मंत्री की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा। तदनुपरान्त अनुमोदित सूची

[Handwritten signature]
15/11/2017

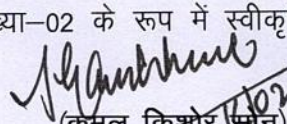
के योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना झाप सं०-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में प्रदान की जाएगी।

- 3.13 चूँकि संथाल जनजाति के समुदाय मूलतः दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सरायकेला-खरसावाँ, प० सिंहभूम में निवास करते हैं, अतः संथाल जनजाति के लिए मांझी थान शेड निर्माण योजना का कार्य योजना उपरोक्त जिलों में ही क्रियान्वित किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में यदि अन्य जिलों के ग्रामों में भी संथाल जनजाति की बाहुलता पायी जाएगी, तो उन ग्रामों के लिए भी योजना क्रियान्वित किया जाएगा।
- 3.14 मांझी थान शेड निर्माण योजना का कार्य अधिकतम प्राक्कलित राशि 5.00 (पाँच) लाख रुपये तक तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कराया जाएगा।
4. योजना का नाम " आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना से परिवर्तित करते हुए " आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना " किया जाता है।
5. पूर्व में निर्गत संकल्प झापांक-105, दिनांक-09.01.2018 तथा संकल्प झापांक-2519, दिनांक-24.07.2019 विलोपित समझे जाएँगे।
6. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 100.00 करोड़ रु० (एक सौ करोड़ रु०) का बजटीय उपबंध है। राशि का विकलन-

जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना हेतु आय-व्यय शीर्ष - "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण -45- निर्माण कार्य- विपत्र कोड-51S42250279633010545" के अन्तर्गत तथा

अन्य क्षेत्रीय उपयोजना हेतु आय-व्यय शीर्ष - "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- लघु शीर्ष- 277- शिक्षा - उपशीर्ष -33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण -45- निर्माण कार्य- विपत्र कोड-51S42250227733010545" के अन्तर्गत होगा।

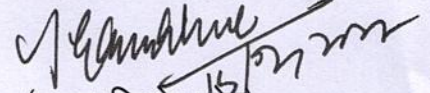
7. योजना पर दिनांक-10.02.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।


(कमल किशोर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-01/धुमंलांसं-003/2017 - 432

राँची, दिनांक:- 15/02/2022

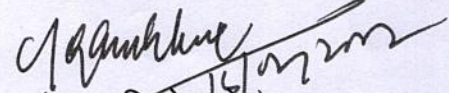
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित कि झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। साथ ही 300 अतिरिक्त प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।


(कमल किशोर साँन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-01/धुमंलांसं-003/2017 - 432

राँची, दिनांक:- 15/02/2022

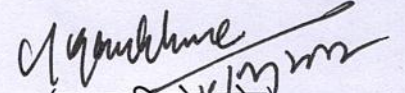
प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(कमल किशोर साँन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-01/धुमंलांसं-003/2017 - 432

राँची, दिनांक:- 15/02/2022

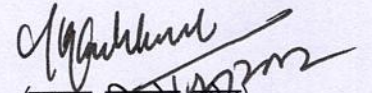
प्रतिलिपि- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज/दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(कमल किशोर साँन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-01/धुमंलांसं-003/2017 - 432

राँची, दिनांक:- 15/02/2022

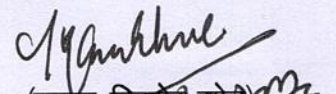
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(कमल किशोर साँन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-01/धुमंलांसं-003/2017 - 432

राँची, दिनांक:- 15/02/2022

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(कमल किशोर साँन)
सरकार के सचिव।